महाराष्ट्र राज्य

बनाम

संजय पुत्र दिगंबरराव राजहंस

25 अक्टूबर, 2004

[पी. वेंकटराम रेड्डी और पी. पी. नाओलेकर, जे. जे.]

आपराधिक विचारण -मृत्यु कालीन कथन पर अधारित दोषसिद्धि-1. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज करने के तुरंत बाद अनुसन्धान अधिकारी द्वारा दूसरा मृत्युकालीन बयान दर्ज करना -पीड़ित की फिटनेस के बारे में डॉक्टरों से राय प्राप्त किये बिना दर्ज किया गया-अभिनिर्धारित, ऐसा मृत्युपूर्व बयान विश्वसनीय नहीं है।

अभ्यास और प्रक्रिया-दो असंभव सिद्धांत-एक अभियोजन द्वारा और दूसरा बचाव द्वारा-अभिनिर्धारित, संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

मृत्युपूर्व कथन-एक से अधिक कथन-अभिनिर्धारित, स्थिरता के मापदण्ड और संभावनाओं की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -मृतका के माता-पिता की साक्ष्य -पीड़ित के गंभीर रूप से जले होने -बयान -अभिनिर्धारित, विश्वसनीय नहीं।

पीडब्लू 2 और 3 का पीडब्लू 4 के अभिसाक्ष्यों के बारे में बयान देना -चश्मदीद गवाह -वाहन की संख्या पर ध्यान नहीं देना -कई लोग खड़े थे -पीड़ित आरोपी का नाम चिल्ला रही थी -किसी और ने नाम नहीं सुना -अभिनिर्धारित, अत्यधिक असम्भाव्य क्योंकि इसमे सन्देह किया जा सकता है।

मृतक 'वी' और प्रतिवादी-अभियुक्त की शादी होने वाली थी। उनके बीच कुछ तनावपूर्ण रिश्ते विकसित हो गए और प्रतिवादी को उससे शादी करने के लिए कुछ आपत्ति थी। 28.9.1991 को शाम करीब 7:30 बजे। आरोपी और वी, वी के घर जा रहे थे और जब वे इलाके में थे, तो प्रतिवादी ने स्कूटर को धीमा कर दिया और स्कूटर में रखी पेट्रोल की कैन निकालकर, वी के शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी। चलती स्कूटर पर अचानक वी के शरीर पर आग की लपटों को देखकर और उसकी चीख पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश की। पीडब्लू4 उनमें से एक था। उसने वी को चिल्लाते हुए सुना। आग बुझाने की कोशिश में अरोपी भी कुछ झुलस गया। आरोपी वी को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया। पीडब्लू8-कैजुअल्टी ड्यूटी डॉक्टर एक चिकित्सकीय कानूनी मामला दर्ज किया और उसने जो कहा, उसे रजिस्टर में नोट किया। उन्होंने यह भी नोट किया कि मरीज को आरोपी द्वारा लाया गया था।

पीडब्लू7 ने दूसरा मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त ने झगड़ा किया और लोकमत कार्यालय के पीछे वाली सड़क पर स्कूटर की गति धीमी कर डिब्बे से पेट्रोल निकालकर उस पर ड़ाल दिया और आग लगा दी, कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर आग बुझाई, जिससे वह बेहोश हो गई, उसके बादः उसने यह भी कहा कि आरोपी उसे अस्पताल लेकर आया था।

आरोपी, जिसके हाथ और पलकें 3 प्रतिशत तक जल गए थे, को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले दिन उसे छुट्टी दे दी गई। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और अपील में उच्च न्यायालय ने इसे उलट दिया।

न्यायालय, राज्य द्वारा की गई अपील खारिज की गई।

अभिनिर्धारितः 1. तथाकथित मृत्यु पूर्व बयान के आंतरिक मूल्य और विश्वस्नीयता का अंदाज़ा उसके सार और उसकी सामग्री से लगाया जा सकता है। इसके अलावा अनुसन्धान अधिकारी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने कथित तौर पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तुरंत बाद बयान दर्ज करने के बारे में क्यों सोचा, वह भी उसकी फिटनेस के बारे में डॉक्टर से राय लिए बिना। न्यायालय को अभिकथित बयान को जो पीडब्लू 13 द्वारा प्रदर्श 86 के तहत दर्ज किया गया को खारिज करने में

कोई झिझक नहीं है। सबूत पैदा करने की बेचैनी इस दस्तावेज़ से समझ आती है। [627-ए-बी; बी-क्यू]

2. अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मानव वध का कथन साथ ही अभियुक्त द्वारा स्थापित आत्महत्या का कथन अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है और किसी भी कथन पर विश्वास करने के लिए न्यायालय के मन में विश्वास पैदा नहीं करता है। इस स्थिति में, जब दो अविश्वसनीय कथन न्यायालय के सामने आते हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त को संदेह का लाभ देना पड़ता है और दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होता है। [630 – एफ-जी]

3. दोनों मृत्युपूर्व बयानों में विरोधभास के साथ-साथ घटना के तरीके की उच्च स्तर की असंभवता, जैसा कि अभियोजन मामले में दर्शाया गया है, अदालत के पास इन मृत्युपूर्व बयानों को थोड़ा महत्व देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह मृत्युपूर्व दिये गये बयानों की बहुलता नहीं है जो अभियोजन मामले में महत्व देती है, बल्कि उनका गुणात्मक महत्व मायने रखता है। यह बार-बार बताया गया है कि मृत्युपूर्व बयान ऐसा होना चाहिए कि इसकी प्रकृति इसकी सत्यता और शुद्धता में न्यायालय के पूर्ण विश्वास को प्रेरित करती है (लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियों के अनुसार, [2002] 6 एससीसी 710। चूंकि मरने से पहले दिए गए बयान की शुद्धता का परिक्षण इसे करने वाले

के प्रतिपरीक्षण करके नहीं किया जा सकता। "इस प्रकार के साक्ष्य को दिए जाने वाले महत्त्व पर विचार करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए"। जब एक से अधिक मृत्युकालीन कथन वास्तव में दर्ज की जाती हैं, तो उन्हें स्थिरता और संभावनाओं की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उन्हें अवश्य ही रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों के आलोक में भी परीक्षण किया जाना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, अदालत मृत्युपूर्व दिए गए बयानो पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती है, खासकर जब उच्च न्यायालय ने उन पर कार्यवाही करना असुरक्षित महसूस किया हो। [630 -जी-एच; 631-ए, बी, क्यू

4. यह पीडब्लू2 के साक्ष्य में है कि वे रात 9:30 या 9.45 बजे अपनी बेटी के बिस्तर के पास थे।पहले अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 6 का इस प्रभाव का साक्ष्य है कि वह अस्पताल गया और रात 10.15 बजे अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर ने लिखकर दिया कि मरीज बयान देने की स्थिति में नहीं है। लगभग एक घंटे बाद, पीडब्लू 13-दूसरे अनुसंधान अधिकारी ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन वह इस कारण से सफल नहीं हो सके क्योंकि ड्यूटी डॉक्टर ने कहा कि मरीज होश में होने के बावज़ूद भटका हुआ था और प्रदर्श 35 के तहत बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में, यह अत्यधिक संदेहास्पद है कि पीडिता रात लगभग 9:45 बजे

अपने माता-पिता से बात करने की स्थिति में थी या नहीं, जैसा कि पीडब्लू 2 द्वारा आरोप लगाया गया है। एक अन्य तथ्य जो पीडब्लू2 के कथन को अविश्वसनीय बनाता है, वह यह है कि उसने 'वी' से उन कथित शब्दों को सुनने के बाद पुलिस को सूचित करके कोई कार्रवाई नहीं की, पीडब्लू2 ने आरोपी से भी कोई पूछताछ नहीं की, जो उसके अनुसार, उस समय मौजूद था। यह आचरण का स्वाभाविक तरीका नहीं है। अदालत पीडिता द्वारा उसके जलने के कारण के संबंध में दिए गए कथित बयान को बताने वाले पीडब्लू2 के बयान को कोई महत्व देने के लिए इच्छुक नहीं है। इन्हीं कारणों से, पीडब्लू 3-मृतक की मां के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। [631 -ई, एफ, जी, एच; 632-ए]

5. यह संदेहपूर्ण है कि क्या पीडब्लू4 ने स्पष्ट रूप से आरोपी का नाम सुना होगा, जिस स्थान पर पीडब्लू4 बर्तन धो रहा था। जब तक वह वहाँ गया, तो पहले से ही कुछ लोगो ने उसे आग बुझाने के लिए घेर लिया। वहाँ व्याप्त सूचना और अराजकता के बीच, यह अत्याधिक सन्देहास्पद है कि पीडब्लू4 ने पीड़ित के मुंह से ऐसे कोई शब्द भी सुने होंगे जो उसने घबराहट और असहनीय दर्द की स्थिति में कहे होंगे। इस संदर्भ में एक अन्य पहलू जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि अगर उन्होंने पीड़ित महिला को आरोपी को दोषी बताते हुए जोर जोर से रोते हुए देखा था, तो जो लोग वहां एकत्र हुए थे और आग बुझा रहे थे तो वह

साधरणत: बिना किसी आपत्ति के उस आरोपी को पीड़िता को अस्पताल ले जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करते।

स्वाभाविक आचरण यह होता कि कम से कम ऑटो-रिक्शा के नंबर को नोट करना और पुलिस को मामले की रिपोर्ट करना होगा, लेकिन पीडब्लू 4 द्वारा ऐसे किसी भी तथ्य के बारे में कोई कथन नहीं किया गया। अदालत का विचार है कि पीड़िता द्वारा कहे गए कथित शब्दों के संबंध में उनके बयान की विश्वसनीयता संदेह के दायरे में है क्योंकि यह संभावनाओं और आचरण के सामान्य अनुक्रम के खिलाफ है। किसी भी दर पर, पीडब्लू4 का बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता। [632 -ई, एफ, जी, एच; 633-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 648/1998

Crl.A. में औरंगाबाद स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12 और 13.11.1997 से। 1993 की संख्या 68।

अपीलार्थी की तरफ से रवींद्र केशवराव ने आश्वासन दिया।

के. वी. विश्वनाथन, संजय खार्डे और सुश्री चंदन राममूर्ति प्रतिवादी की तरफ से ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

पी. वेंकटरामा रेड्डी, जे. यह महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर एक अपील है।

बा ॅम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच द्वारा बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद द्वारा वीणा की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके साथ आरोपी ने विवाह किया था। शादी 2 दिसंबर, 1991 को होने वाली थी। यह दुखद घटना 28 सितंबर, 1991 की रात लगभग 07.30 बजे घटी। अगले दिन यानी 29 सितंबर को रात करीब 8 बजे पीडिता वीना की अस्पताल में पिछले दिन जलने के कारण मौत हो गई। मृतक पर आग बुझाने की प्रक्रिया में आरोपी के हाथों पर भी कुछ चोटें आईं। दोषसिद्धि मृत्युपूर्व दिए गए कुछ बयानों और पीडब्लू4 की जांच द्वारा सामने आए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी, जो जलने की जगह के पास चाय की दुकान लगाने वाला एक विक्रेता था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उच्च न्यायालय ने मृत्युपूर्व दिए गए बयानों पर भरोसा करना या पीडब्लू4 के साक्ष्य को स्वीकार करना असुरक्षित महसूस किया और इसलिए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। हमने बताया कि अभियुक्त ने मुकदमे के दौरान और उसके बाद लगभग पांच साल की सजा काटी थी।

हम अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित तथ्यों और दो महत्वपूर्ण दिनों यानी 28 और 29 सितंबर, 1991 को हुई घटनाओं के अनुक्रम पर ध्यान देंगे, जो अभियोजन साक्ष्य से सामने आए हैं। मृतका वीना एक क्रिकेट खिलाडी थी और जब वह कॉलेज में पढती थी तो आरोपी क्रिकेट टीम का कप्तान था। बाद में वह क्रिकेट कोच बन गये। उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया और बडों ने 18 अगस्त, 1991 को एक सगाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें 2 दिसंबर, 1991 को शादी का जश्न मनाने का फैसला किया गया। आरोपी स्नातक था, जनगणना कार्यालय में कार्यरत था और मृतका लॉ कॉलेज में पढ़ रही थी। आरोपी और मृतक का आना-जाना करीब था। उनके बीच कुछ तनावपूर्ण रिश्ते विकसित हो गए और आरोपी को उससे शादी करने में कुछ आपत्ति थी। घटना के महत्वपूर्ण दिन यानी 28 सितंबर, 1991 को वीना अपनी मां को सूचित करने के बाद आरोपी से मिलने गई थी। शाम करीब साढे सात बजे आरोपी और वीना वीना के घर जा रहे थे और जब वे लोकमठ बिल्डिंग, औरंगाबाद के पीछे इलाके में थे, तो आरोपी ने स्कूटर धीमा कर दिया और स्कूटर में रखे पैट्रोल के डिब्बे को निकालकर वीना के शरीर पर पैट्रोल छिडक दिया और उसे अचानक आग लगा दी। ये सब चलती स्कूटर पर किया गया। वीणा के शरीर पर आग की लपटें देखकर और उसकी चीख-पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश की। पीडब्लू4 उनमें से एक था। उसने वीना को यह कहते हुए सुना, ‘‘प्रमोद, तुमने मुझे क्यों जला दिया?’’

(आरोपी का नाम संजय प्रमोद है)। आग बुझाने की कोशिश में आरोपी भी कुछ झुलस गया। फिर आरोपी उसे एक ऑटो-रिक्शा में सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल ले गया। रात 8 बजे प्रवेश के तुरंत बाद, पीडब्लू 8-कैजुअल्टी ड्यूटी डाक्टर ने पीडिता वीना से पूछताछ की कि वह कैसे जल गई। उससे जवाब मिलने पर, पीडब्लू8 ने एक मेडिको लीगल केस दर्ज किया और उसने जो कहा उसे रजिस्टर में नोट किया, जिसका उद्धरण प्रदर्श 39 है। उन्होंने यह भी नोट किया कि मरीज को आरोपी संजय द्वारा लाया गया था। उसने डाक्टर को बताया कि उसके 'पति ने लोकमठ बिल्डिंग के पास सडक पर स्कूटर से जाते समय उस पर पैट्रोल डालकर आग लगा दी और पैट्रोल का डिब्बा उसके हाथ में था। उन्होंने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बम्स का प्रतिशत नोट किया, कुल प्रतिशत 98 था। उसी समय, अस्पताल की पुलिस चोेकी पर ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल (पीडब्ल्यू1) ने संबंधित रजिस्टर में एक प्रविष्टि की। डाक्टर को इतिहास बताते समय उसने पीडित से जो कुछ सुना, उसका सार जी। उसे प्रदर्श पी13 के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बाद उन्होंने सिडको पुलिस थाना को सूचित किया क्योंकि अपराध उसी पुलिस थाना के अधिकार क्षेत्र में हुआ था। पीडब्लू 15, हैड-कांस्टेबल ने संदेश नोट किया, थाना डायरी में प्रविष्टि की और पुलिस उप-निरीक्षक पीडब्लू 6 को सूचित किया जब वह रात 08.40 बजे वहां आए। पीडब्लू 6 अपराह्न 10.15 बजे

अस्पताल पहुंचा। इसके बाद पीडब्लू 6 ने पत्र प्रदर्श 29 को संबोधित किया।

प्रभारी डाॅक्टर को यह बताना होगा कि मरीज बयान देने की स्थिति में है या नहीं। डाॅक्टर ने कहा कि वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। फिर वह थाने लौटा और आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया। उसी के आधार पर एफआईआर प्रदर्श 30 तैयार की गई और संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दी गई। तभी पीडब्लू 2 और 3 मृतका के पिता और मां खबर पाकर अस्पताल पहुंचे और रात 09.45 बजे उन्होंने वीना को वार्ड में देखा। वीना ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि आरोपी उसे जलाने के लिये जिम्मेदार था। पीडब्लू 13 सिडको पुलिस थाने से जुडे एक अन्य उप-निरीक्षक ने रात लगभग 11 बजे पीडब्लू 6 से जांच का कार्यभार संभाला। वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार-पीडब्लू 7 के पास गए और उनसे पीडिता वीना का बयान दर्ज करने का अनुरोध किया। प्रारंभ में, लगभग दोपहर 11.10 बजे, बयान दर्ज करना संभव नहीं था क्योंकि डाॅक्टर ने कहा था कि मरीज होश में था लेकिन भटका हुआ था। हालांकि, सुबह 03.15 बजे, डाॅक्टर ने प्रदर्श 35 पत्र पर पुष्टि की कि मरीज सचेत और उन्मुख है और बयान देने की स्थिति में है। तब बयान पीडब्लू7 द्वारा प्रदर्श 37 के अनुसार दर्ज किया गया था, जिस पर दूसरे

मृत्युकालीन बयान के रूप में भरोसा किया जाता है। पीडिता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी

ने झगडा किया और लोकमत कार्यालय के पीछे सडक पर स्कूटर धीमा करने के बाद कैन से निकाला गया पैट्रोल उस पर डाल दिया और आग लगा दी और कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर आग बुझाई और वह बेसुध हो गई। उसने यह भी कहा कि आरोपी उसे अस्पताल लेकर आया। हमारे पास एक और बयान है, जो जांच अधिकारी पीडब्लू13 द्वारा सुबह 04.30 बजे दर्ज किया गया है, जिसे मृत्युपूर्व बयान के रूप में मानने की मांग की गई है। यह बयान चिकित्सा अधिकारी से परामर्श किये बिना दर्ज किया गया था। अगले दिन सुबह वीणा के पिता द्वारा बताये जाने पर पीडब्लूआई 3 द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने घटनास्थल पर मिले सामान को जब्त कर लिया है, जिसमें एक आईडी कार्ड और पर्स भी शामिल है। आरोपी का स्कूटर पास में ही पडा मिला। पीडब्लू 13 ने पीडब्लू4 और अन्य का बयान दर्ज किया। उन्होंने 29.09.1991 को शाम 07.20 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 29.09.1991 को पीडिता वीना की रात 08.10 बजे अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल में मृतक की देखभाल करने वाले दो डाॅक्टर पीडब्लू 10 और 11 थे। पूछताछ करने के बाद, पीडब्लू13 ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। पोस्टमाॅर्टम जांच पीडब्लू 12 द्वारा की गई थी। मृत्यु का कारण 95 प्रतिशत जलने के कारण सदमा और परिधीय संचार विफलता (Peripheral circulatory failure) बताया गया। 23 अक्टूबर, 1991 को जांच पीडब्लू 15 को सौंपी गई थी। उन्होंने पीडब्लू 4 की दोबारा जांच की और अन्य लोगों

के बयान भी दर्ज किये और फिर 01.07.1992 को औरंगाबाद सीजेएम की अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

आरोपी, जिसके हाथ और हथेलियां 3 प्रतिशत तक जल गई थीं, को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले दिन 02.30 बजे उसे छुट्टी दे दी गई।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, आरोपी को बाद में यानी शाम 7 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने स्वयं को गवाह के रूप में परीक्षित किया। जैसा कि डीडब्लू 1 बयान में उन्होंने कहा कि मृतका गुस्सैल और अधीर व्यक्ति थी, कि वह औपचारिक विवाह की प्रतीक्षा करने की बजाय एक पंजीकृत विवाह करने पर जोर दे रही थी, उस महत्वपूर्ण दिन को, वह उसका मूड बदलने के लिये उसे मकबरे पर ले गया और इसके बाद वह अपने घर वापस आ गया। उसने आगे बताया कि शाम को वह वीना के घर गया और जब उसे पता चला कि वह घर नहीं लौटी तो वह उसे ढूंढने के लिये वीना के भाई को अपने साथ ले गया। हालांकि वह उसके घर पर मिल गई और दोनों स्कूटर से वीना के घर के लिये निकल गए। रास्ते में शाम करीब 07.15 बजे उसे लगा कि पीछे कुछ जल रहा है और वह अपना स्कूटर रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी वीना स्कूटर से कूद गई। तभी उसने उस पर आग देखी और उसे बुझाने की कोशिश की। अस्पताल में, जब वह वीणा के पास रहा, तो उसने अपने माता-पिता को

संदेश भेजा और उसके पिता और अन्य लोगों के आने के बाद, उनसे वीणा के माता-पिता को सूचित करने का अनुरोध किया गया। रात करीब सवा दस बजे उसके माता-पिता अस्पताल आए। डीडब्लू 1 ने मृतका के आत्मघाती स्वभाव पर प्रकाश डालने के लिये वीना द्वारा लिखे गए कुछ पत्र भी प्रस्तुत किये।

मृतक के कथित बयानों और अदालत में अभियुक्त के बयान को छोडकर, घटना से संबंधित कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, हालांकि यह घटना एक व्यस्त इलाके में सार्वजनिक सडक पर हुई थी। कोई उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया था। रिकॉर्ड से सामने आने वाली परिस्थितियों से पता चलेगा कि घटना अचानक हुई होगी। ये रहस्यमयी भी लगता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिये गए कथित मृत्युपूर्व बयान में उसने कहा कि आरोपी ने बिना किसी कारण के उससे झगडा किया। इसका मतलब है कि अगर हम उस मृत्युपूर्व बयान पर गौर करें तो यह एक तरह का छोटा-मोटा झगडा था। हालांकि, प्रदर्श 39 में, जिसे उसका सबसे पहला रहस्योद्घाटन कहा जाता है, यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी उसके चरित्र पर संदेह कर रहा था जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये गये बयान के विपरीत है। घटना के तुरंत बाद और बाद में आरोपी का आचरण किसी भी तरह से उसके अपराध की ओर इशारा नहीं करता है। इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा

मृत्युपूर्व बयान दर्ज किये जाने के बाद लगभग 11 घंटे तक अस्पताल में रहने वाले आरोपी से पूछताछ या गिरफ्तार नहीं किया गया था, हालांकि उस समय तक पुलिस के पास आपत्तिजनक साक्ष्य सामने आ चुके थे। दोपहर 02.30 बजे उन्हें छुट्टी दे दी गई और शाम 7 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन मामले के परीक्षण में इन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमें इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह दोषमुक्ति के खिलाफ एक अपील है और इस न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि न्यायालय आश्वस्त न हो जाए कि उच्च न्यायालय का निर्णय विकृति, गलत कानूनी दृष्टिकोण या महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार न करने के कारण दूषित हो गया है। यदि दो दृष्टिकोण उचित रूप से संभव हैं, तो यह न्यायालय दोषसिद्धि नहीं कर सकता लेकिन दोषमुक्त के आदेश को पुष्ट करेगा।

प्रपत्र में अभियोगात्मक साक्ष्य की मदों के बीच। मृत्यु पूर्व दिये गए बयानों में से, हम सबसे पहले उस आखिरी बयान के बारे में सचेत करना चाहेंगे जो जांच अधिकारी पीडब्लू 13 ने 29 सितंबर, 1991 को सुबह 04.30 बजे दर्ज किया था। इस सवाल को छोड दें कि क्या इसे मृत्यु से पहले दिया गया बयान माना जा सकता है या धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज एक बयान, हमारे समक्ष संदेह का कोई तत्व नहीं है कि प्रदर्श 86 एक हेरफेर किया हुआ दस्तावेज है जो अभियोजन पक्ष के मामले को

मजबूत करने के लिये अति उत्साही जांच अधिकारी द्वारा पेश किया गया है।

प्रदर्श 86 का अंग्रेजी संस्करण दो या अधिक पूर्ण टाईप किये गये पृष्ठों में चलता है। आवश्यक और अनावश्यक, सूक्ष्म और सामग्री संबंधी विवरण उसमें पाए जाते हैं। घोषणाकर्ता परिवार के विवरण से शुरू करता है और अपनी शिक्षा, आरोपी के साथ उसके संपर्क, सुबह 9 बजे घर से निकलने के समय से लेकर उसके व्यवहार का घंटे-घंटे का विवरण, उसने जो पोशाक पहनी थी, उसका रंग और शैली के बारे में बताता है। वह स्थान जहां उसने आरोपी के साथ समय बिताया -और उनके बीच क्या बातचीत हुई, स्कूटर का नंबर, उस पैट्रोल पंप का नाम जहां से उसने पैट्रोल खरीदा आदि। यह सब उस वास्तविक घटना से पहले की बात थी जिसे उसने बयान के बाद के हिस्से में बताया था। यह विश्वास करना असंभव होगा कि 95 प्रतिशत जला हुआ पीडित व्यक्ति इतने ज्वलंत और सुसंगत तरीके से विवरण बताएगा। प्रदर्श 86 के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले को बनाने के लिये प्रासंगिक तथ्य संभावित मकसद, कैन में पैट्रोल की उपलब्धता सहित उस बयान में शामिल किये गये हैं। आरोप है कि मकबरा में बातचीत के दौरान आरोपी ने कहा कि उसे उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसके बाद मामूली झगडा हो गया। कथन-प्रदर्श 86 के अनुसार, आरोपी ने पैट्रोल

खरीदने के लिये 50 रूपये दिए, जिसे वह चाहता था कि वह तैयार रखे ताकि वे कार्यालय से लौटने के बाद सीधे दौलताबाद किले की ओर बढ सकें। उसने आगे कहा कि आरोपी काफी देर तक वापस नहीं आया और वह इधर-उधर घूमती हुई उसके घर गई और शाम 7 बजे आरोपी को घर में पाया। फिर, आरोपी ने स्वेच्छा से उसे स्कूटर पर घर वापस छोडने की पेशकश की। उसने कहा कि उसने पहली बार में पर्स और पैट्रोल कैन ले लिया लेकिन बाद में पर्स वापस कर दिया और पैट्रोल कैन स्कूटर की डिकी में जमा कर दिया। फिर वास्तविक घटना बताई गई। उस कथन के अनुसार, शाम 07.30 बजे स्कूटर पर जाते समय। उसके घर पर उनका 'मौखिक झगडा' हुआ फिर से' और आरोपी ने लोकमत कार्यालय भवन के पास स्कूटर को धीमा कर दिया, अपने दाहिने हाथ से स्कूटर के सामने की डिकी से पैट्रोल की कैन निकाली, कार्क खोला और उस पर पैट्रोल डाला, साथ ही यह भी कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा और माचिस जला दी। उस समय वह बातों में व्यस्त थी उनके साथ। देखते ही देखते वह आग की चपेट में आ गई और स्कूटर भी जल गया धीमी गति से आगे बढते हुए वह नीचे कूद पडी। वह चिल्लाने लगी तो चार-पांच लोग आये और आग बुझायी। इसके बाद, आरोपी एक ऑटो-रिक्शा लेकर आया और उसे उस वाहन में अस्पताल ले गया और भर्ती कराया। बयान इस हद तक स्पष्टीकरण देता है कि आरोपी अपने पास माचिस की डिब्बी क्यों रखता था। इस तथाकथित मृत्युपूर्व बयान की आंतरिक कीमत और विश्वसनीयता

का अंदाजा इसकी प्रकृति और सामग्री से ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अनुसंधान अधिकारी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कथित तौर पर बयान दर्ज करने के तुरंत बाद उन्होंने बयान दर्ज करने के बारे में क्यों सोचा, वह भी उनकी फिटनेस के बारे में डाॅक्टर की राय लिए बिना। हमें प्रदर्श 86 के तहत पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज किए गए कथित बयान को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। सबूत पेश करने की बेचैनी इस दस्तावेज से समझ में आती है।

प्रदर्श 37 पर आते हैं, जो पीडब्लू7 द्वारा नाम गुलाम गौस -नायब तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट के नाम से सुबह 03.15 बजे दर्ज की गई मृत्युपूर्व कथन है, हम कुछ हद तक, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गए संदेह को साझा करते हैं। इस बयान में, मृतका ने कहा कि आरोपी उसका मंगेतर था, जब वह 28 सितंबर की सुबह उससे मिलने गई, तो उसने उससे कहा कि ''हम घूमने के लिए दौलताबाद जाएंगे, तुम पैट्रोल ले लेन' उसने क्रांति चौक पैट्रोल पंप पर से एक कैन में एक लीटर पैट्रोल खरीदा और उसे अपने घर में रख लिया; जब वह नहीं लौटा तो वह उसके घर चली गई। लगभग सांय 06.00 बजे और उसने उससे झगडा किया और कैन से पैट्रोल निकालकर उस पर डाल दिया और आग लगा दी और उस समय उसने टेरीकाॅट पंजाबी पोशाक पहनी हुई थी। इससे यह आभास होता है कि घटना आरोपी के घर पर हुई है। हालांकि, निम्नलिखित वाक्य में, उसने कहा कि जब वे लोकमत कार्यालय के पीछे सडक पर पहुंचे, तो

आरोपी ने स्कूटर धीमा कर दिया और सामने की तरफ रखे डिब्बे से उसके उपर पैट्रोल डाला और माचिस की तीली जलाकर उस पर आग लगा दी। वह चिल्लाई तो कुछ लोग एकत्र हो गए और आग बुझाई। तभी वह बेहोश हो गई और कुछ भी देख पाने में असमर्थ हो गई। ''घटना कब और कैसे हुई'' प्रश्न के उत्तर में उसने यही कहा। अगले सवाल के जवाब में उसने बताया कि आरोपी उसे ऑटो से अस्पताल लेकर आया। प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में, उसने कहा कि आरोपी ने उसके साथ झगडा किया -''बिना किसी कारण के झगडा''। फिर पीडब्लू 7 द्वारा एक प्रश्न पूछा गया ''क्या आपको किसी पर संदेह है'' जिसके लिये उसने उत्तर दिया ''मुझे संजय-प्रमोद'' (आरोपी) पर संदेह है। आखिरी सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनकी शादी 02.12.1991 को होने वाली थी। बयान की रिकाॅर्डिंग की अवधि सुबह 03.15 से 04.00 बजे तक 45 मिनट दिखाई गई थी। प्रदर्श 37 पर यह पुष्टि की गई थी कि कोई भी मौजूद नहीं था और बयान पढने के बाद वीना द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया था। पीडब्लू 7 ने स्पष्ट किया कि बयान उनके द्वारा मराठी भाषा में यहां-वहां अंग्रेजी शब्दों के साथ दिया गया था। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रदर्श 37 में पाई गई भाषा किसी पारंपरिक मराठी परिवार के मराठी भाषा में पारंगत किसी शिक्षित व्यक्ति की नहीं हो सकती। हममें से एक (नाओलकर, जे.) जो मराठी भाषा से परिचित है, ने भी प्रदर्श 37 के मूल को पढने पर यही

धारणा बनाई है। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि ''महिला ने शायद कुछ सुनाया होगा

जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अपनी भाषा में रिकॉर्ड किया होगा और मजिस्ट्रेट ने बाद में कथन के अपने स्मरण को दोहराया, को खारिज नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी टिप्पणी की कि पीडब्लू 7 ने उसके अंगूठे का निशान नहीं लिया होगा क्योंकि उसके अंगूठे जल गए थे और बयान में कथित अंगूठे का निशान उसके अंगूठे का निशान नहीं हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि यह अंगूठे का निशान पैर का अंगूठा है जिस पर पूछताछ के समय स्टांप स्याही के निशान पाए गए थे। इसलिए निशान के नीचे ''वीणा के अंगूठे का निशान'' का समर्थन सही नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय की आगे की टिप्पणी पीडब्लू 7 द्वारा अंत में पूछे गए सवाल के संबंध में है कि क्या वह किसी पर संदेह कर रही थी। यदि उसके बयान के पहले भाग में स्पष्ट शब्दों में आरोपी को फंसाने वाला कथन पहले ही दिया जा चुका है, तो यह प्रश्न और उत्तर अर्थहीन हो जाता है। आगे यह प्रश्न कि क्या वह विवाहित थी, भी निरर्थक था। इसलिए उच्च न्यायालय का विचार था कि यह सिद्धांत कि मृत्युपूर्व बयान मामूली संदेह से परे होना चाहिए, संतोषजनक नहीं है और प्रदर्श 37 ऐसे दस्तावेज पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। हालांकि उच्च न्यायालय ने मिटाए गए/सुधार पर आगे टिप्पणी की, हम उन्हें अधिक महत्व देने के इच्छुक नहीं हैं।

हमें जो समग्र तस्वीर मिलती है वह यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट-पीडब्लू 7 ने पीडिता से संपर्क किया और उसका बयान दर्ज किया, जबकि वह उन्मुख और सचेत थी। डाॅक्टर द्वारा प्रमाणित किया कि 45 मिनट नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिये उन्मुख थी। पूरे बयान को पढने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज ही नहीं किया। वास्तव में, पीडब्लू 7 के सामने ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा गया थ, हालांकि कई अन्य सुझाव दिए गए थे। यद्यपि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान पीडब्लू 2 के बयान की ओर आकर्षित किया है कि उसने अस्पताल में रहने के दौरान किसी भी पुलिस अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी बेटी को देखने की जानकारी से इन्कार किया था, लेकिन यह कथन महत्व के विपरीत नहीं है। अस्पताल में उसकी उपस्थिति स्थापित करने के लिये उपलब्ध साक्ष्य।

हालांकि, हमें इस बात पर गहरा संदेह है कि क्या 45 मिनट के लिए, रोगी उस गंभीर स्थिति में पीडब्लू 7 के सवालों का जवाब देना जारी रह सकता है यहां तक कि उसके द्वारा पहने गए कपडों और उस स्थान से जहां से उसने पेट्रोल खरीदा था, के बारे में भी विवरण दिया, जो वास्तव में अप्रासंगिक विवरण है। फिर से, सबूतों के समय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, यह सोचने का हर कारण है कि पीडब्लू 7 ने वीणा जो बोल रही थी उसका सार लिख दिया होगा और फिर अपनी भाषा का उपयोग करके प्रश्न और

उत्तर रूपों में बयान तैयार किया होगा। इस प्रकार, प्रदर्श 37 मृतक का सटीक या शुद्ध कथन प्रतीत नहीं होता है। कुछ अलंकरणों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, हम प्रदर्श 37 को एक मनगढंत और विकृत दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, यह पूरी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। फिर भी हम इस आधार पर आगे बढेंगे कि लोकमत बिल्डिंग के पास सडक पर पहुंचने के बाद जो वास्तविक घटना घटी थी, उसके संबंध में वीना के बयान का भौतिक हिस्सा सही है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, आरोपी उस बयान से फंसा हुआ है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, हमें समय-समय पर अन्य मृत्युपूर्व कथन (प्रदर्श 39) पर ध्यान देना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि क्या ये कथन भौतिक विवरणों में एक-दूसरे के अनुरूप हैं।

प्रदर्श 39, वीना को अस्पताल में भर्ती करते समय डाॅ. मनोहर (पीडब्लू 8) द्वारा अस्पताल रजिस्टर में की गई एक प्रविष्टि है। पीडब्लू 8 ने पूछताछ करने पर बताया कि वह कैसे जली, इसका जवाब उसने दिया जो रजिस्टर में लिखने तक सिमट कर रह गया। प्रदर्श 39 की सामग्री इस प्रकार हैः

"चूंकि पति मुझ पर शक करता था, इसलिए आज शाम को जब हम लोकमत बिल्डिंग के पीछे वाली सडक से स्कूटर पर जा रहे थे, तो उसने मेरे शरीर पर पैट्रोल डाला और माचिस से आग लगा दी। मेरे हाथ में जो कैन थी, उसमें पैट्रोल था।"

सबसे उपर पति का नाम (यानी आरोपी का नाम) लिखा है, क्या उसने संजय को अपना पति बताया था या क्या डाॅक्टर ने खुद अनुमान लगाया था कि उसके साथ आया व्यक्ति उसका पति था, यह संदेह का विषय है। हालांकि, उस पर बहुत कुछ नहीं होता।

जब डाॅक्टर पीडब्लू 8 मरीज से जानकारी ले रहे थे, अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल-पीडब्लू 1 मौजूद था। वीणा की कहानी सुनने के बाद, उन्होंने एमएलसी रजिस्टर में प्रदर्श 13 के अनुसार एक नोट बनाया, जो लगभग प्रदर्श 39 के समान है। इसके बाद पीडब्लू 1 ने रात 08.20 बजे क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाना को सूचना दी। पुलिस का एस.आई. पीडब्लू 6 द्वारा सूचना को रिकाॅर्ड किया गया था।

अब दोनों के बीच के विरोधाभासों पर गौर करना जरूरी है

मृतक के बयान प्रदर्श 37 और 39 में शामिल हैं। वे पहले उद्देश्य के संबंध में हैं और दूसरे स्कूटर पर पैट्रोल कैन के स्थान के संबंध में हैं।

प्रदर्श 39 के अनुसार, पीडिता ने अपने हाथ में पैट्रोल कैन पकड रखा था, जबकि प्रदर्श 37 के अनुसार, पैट्रोल कैन स्कूटर के सामने डिकी में था। यदि प्रदर्श 39 में जो कहा गया है -पहला कथन सही है, तो क्या यह विश्वास करना संभव है कि जब स्कूटर चल रहा था तो आरोपी ने उससे पैट्रोल की कैन ले ली, उसका ढक्कन हटा दिया, उस पर पैट्रोल छिडक दिया और आग लगा दी माचिस की तीली से आग? इस प्रकार का ऑपरेशन, यदि संभव हो तो भी, तुरंत मृतक का ध्यान आकर्षित करता और उसे बेईमानी का संदेह होता। वह चुप नहीं रहती और ना ही स्कूटर पर बैठी रहती, खासकर जब स्कूटर धीमा हुआ था। 'दरअसल, उसने प्रदर्श 37 में कहा कि आग लगने के बाद वह स्कूटर से कूद गई क्योंकि स्कूटर धीमी गति में था। ऐसी स्थिति में कोई भी समझदार व्यक्ति असहाय होकर नहीं देखेगा और स्कूटर चालक को अपना परिकल्पना पूरा करने की अनुमति नहीं देगा, वह भी व्यस्त सडक पर। हालांकि, यदि पैट्रोल कैन डिकी में था जैसा कि प्रदर्श 37 में कहा गया है, उसका ध्यान आकर्षित किये बिना पैट्रोल कैन खोलने और अचानक उसके कपडों पर इसे छिडकने की संभावना अधिक होगी, हालांकि यह भी एक आसान ऑपरेशन नहीं है। एक बार जब उसके हाथ से पैट्रोल की कैन पकडने के सिद्धांत को स्वीकार

कर लिया जाता है और यह तथ्य भी स्वीकार कर लिया जाता है कि घटना तब हुई जब स्कूटर चल रहा था, तो अभियोजन की पूरी कहानी अविश्वसनीयता के कगार पर पहुंच जाएगी। उस तरीके से आग लगाना असंभव नहीं तो बेहद अव्यावहारिक होगा। हम प्रदर्श 39 के कथन पैट्रोल कैन को हाथ में रखने के बारे में सच है, को अनदेखा नहीं कर सकते, मृत्युपूर्व कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करते समय

आरोपी द्वारा डीडब्लू 1 के रूप में रची गई आत्महत्या की कहानी भी अविश्वसनीय प्रतीत होती है। अगर वह पैट्रोल की कैन खोलकर खुद पर पैट्रोल छिडकने लगती तो तुरंत आरोपी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता और वह स्कूटर रोककर उसकी कोशिश को नाकाम कर देता।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित हत्या का संस्करण और साथ ही अभियुक्त द्वारा स्थापित आत्महत्या का संस्करण अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है और किसी भी संस्करण पर विश्वास करने के लिए न्यायालय के मन में विश्वास पैदा नहीं करता है। इस स्थिति में, जब दो अविश्वसनीय संस्करण न्यायालय के समक्ष आते हैं, तो न्यायालय को आरोपी को संदेह का लाभ देना पडता है और दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होता है। दो मृत्युपूर्व बयानों में विरोधाभास के साथ-साथ घटना के तरीके की उच्च स्तर की असंभवता जैसा कि अभियोजन पक्ष के मामले में दर्शाया

गया है। अदालत के पास इन मृत्युकालीन कथनों को थोडा सा महत्व देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

यह मृत्युपूर्व दिए गए बयानों की बहुलता नहीं है जो अभियोजन मामले को महत्व देती है, बल्कि उनका गुणात्मक महत्व मायने रखता है। यह बार-बार बताया गया है कि मृत्यु पूर्व बयान इस प्रकार का होना चाहिए कि न्यायालय को उसकी सत्यता और शुद्धता पर पूरा भरोसा हो (पांच न्यायाधीशों की टिप्पणियों के अनुसार) लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य में खंडपीठ, [2002] 6 एससीसी 710)। यद्यपि मृत्युपूर्व दिये गए बयान की सत्यता की जांच इसे करने वालों की जिरह करके नहीं की जा सकती, ''इस प्रजाति के साक्ष्य को महत्व देने के विचार पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए'' जब एक से अधिक मृत्युकालिक कथन ईमानदारी से दर्ज हुई हैं, उन्हें स्थिरता के मापदंड और सम्भावनाओं की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। रिकार्ॅड में लिए गए दूसरे साक्ष्य के प्रकाश में भी परखा जाना चाहिए। इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने से हम मृत्युपूर्व दिए गए बयानों पर समग्र विश्वास करने में असमर्थ हैं, खासकर जब उच्च न्यायालय ने इसे महसूस किया उन पर कार्रवाई करना असुरक्षित है। यह इस प्रश्न से अलग है कि क्या मृतक जो 95 प्रतिशत बम्स के साथ घटनास्थल पर बेहोश हो गयी (जैसा कि प्रदर्श 37 में दर्ज किया गया है)। और जो दो घंटे बाद अस्थिर हालत में पायी गयी, क्या वह अस्पताल में

भर्ती होने के समय डाॅक्टर से बात करने के लिए वह उपयुक्त स्थिति में थी। हम इस पहलू पर जाने से रूकते हैं।

अब हम अपना ध्यान गैर-आधिकारिक गवाहों के साक्ष्यों पर केंद्रित करेंगे, जो मृतक द्वारा कहे गए शब्दों का हवाला देकर आरोपी को अपराधी बताते हैं। पीडब्लू 2-मृतक के पिता का कहना है कि वीना ने उन्हें और उनकी पत्नी को अस्पताल वार्ड में बताया कि लोकमत बिल्डिंग के पीछे सडक पर जाते समय आरोपी ने उस पर पैट्रोल डाला और आग लगा दी। उसने उनसे आरोपियों से बदला लेने के लिये भी कहा। उस समय, पीडब्लू 2 के अनुसार, वह होश में थी। हमारे लिए इस बयान पर यकीन करना मुश्किल है जिसे उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है। पीडब्लू 2 के साक्ष्य में यह है कि वे रात 09.30 या 09.45 बजे अपनी बेटी के बिस्तर के पास थे। प्रथम अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 6 का साक्ष्य इस आशय का है कि वह अस्पताल गया और अपराह्न 10.15 बजे अस्पताल में डाॅक्टर से संपर्क किया। और डाॅक्टर ने लिखकर दे दिया कि मरीज बयान देने की स्थिति में नहीं है। लगभग एक घंटे बाद, अगला अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 13 द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज कराने का प्रयास किया गया लेकिन वह सफल नहीं हो सका क्योंकि ड्यूटी डाॅक्टर ने राय दी कि मरीज होश में होने के बावजूद भटका हुआ था और प्रदर्श 35 के तहत बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में, यह

अत्यधिक संदेहास्पद है कि पीडिता रात लगभग 09.45 बजे अपने माता-पिता से बात करने की स्थिति में थी या नहीं। जैसा कि पीडब्लू 2 ने आरोप लगाया है। एक और तथ्य जो पीडब्लू 2 के बयान को अविश्वसनीय बनाता है वह यह है कि वीना से उन कथित शब्दों को सुनने के बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट करके कोई कार्रवाई नहीं की। पीडब्लू 2 ने भी अभियुक्त से कोई पूछताछ नहीं की उसके अनुसार, उस समय वह मौजूद था। यह आचरण का स्वाभाविक तरीका नहीं है, इसलिए, हम पीडब्लू 2 के बयानों को महत्व देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। पीडब्लू 2 के बयानों में पीडिता द्वारा उसके जलने के कारण के संबंध में कथन दिए गए, कथित बयान को कोई महत्व नहीं है। इन्हीं कारणों से पीडब्लू 3-मृतक की मां के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

अब हम पीडब्लू 4 के साक्ष्य पर आए हैं जो कालेज गेट के बाहर एक 'होटल' चला रहा था। उच्च न्यायालय ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साक्ष्य को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों में से एक, वीना के शब्दों को उद्धृत करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके साक्ष्य को गलत तरीके से पढा जाना सही प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा सहमत हैं कि पीडब्लू 4 के बयान में ट्रायल कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण वाक्य का अनुवाद सही है। यह हममें से एक द्वारा पुनः जांच की गई। फिर भी, हम इस गवाह द्वारा दिए गए बयान पर

अधिक भरोसा करने में असमर्थ हैं। पीडब्लू 4 ने कहा कि वह शाम करीब 07.15 बजे बर्तन साफ कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि एक जलता हुआ व्यक्ति उनकी ओर चिल्लाता हुआ दौड रहा है ''प्रमोद, तुमने मुझे क्यों जला दिया, बचाओ, बचाओ''। तब उन्होंने कहा कि जब तक वह मौके पर गए थे लडकी जल रही थी, 5-6 लोग इकठ्ठे हो गए और वे पहले ही आग बुझा रहे थे। फिर उसने एक चादर निकाली और उस पर डाल दी। जब चादर जल गई तो उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए बोरे का सहारा लिया। फिर उन्होंने कहा कि आग बुझने के बाद, एक व्यक्ति जो उसके पास था, एक ऑटोरिक्शा लाया और उसे ले गया। उन्होंने आगे बताया कि स्कूटर पास ही सडक पर पडा था। प्रश्न यह है कि क्या पीडब्लू 4 ने सचमुच आग की लपटों में डूबी महिला को यह कहते हुए सुना था, ''प्रमोद, तुमने मुझे क्यों जला दिया । उसके कार्यस्थल और आग बुझाने वाले स्थान के बीच की दूरी अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 13 द्वारा तैयार किये गए नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श 10 में नहीं दी गई है। पीडब्लू 4 ने दूरी का भी उल्लेख नहीं किया। यह संदिग्ध है कि क्या उसने उस स्थान से जहां वह था बर्तन धो रहा था 'प्रमोद' (जो आरोपी का दूसरा नाम है) नाम स्पष्ट रूप से सुना होगा। जब तक वह वहां गया तब तक कुछ लोगों ने आग बुझाने के लिए उसे घेर लिया। वहां व्याप्त शोर और अराजकता के बीच, यह अत्यधिक संदेहास्पद है कि पीडब्लू 4 ने पीडित के मुंह से ऐसे कोई शब्द सुने होंगे जो घबराहट और असहनीय दर्द की स्थिति

में रहे होंगे। इस संदर्भ में, एक और पहलू जो ध्यान देने योग्य है यह है कि यदि पीडित महिला जोर-जोर से रो-रोकर आरोपी को दोषी बता रही होती, तो वहां इकट्ठा होकर आग बुझाने वाले लोग बिना किसी आपत्ति के उसे अस्पताल तक ले जाने की इजाजत नहीं देते। स्वाभाविक आचरण यह होगा कि कम से कम ऑटो-रिक्शा का नंबर नोट किया जाए ओर मामले की रिपोर्ट पुलिस को की जाए लेकिन पीडब्लू 4 द्वारा ऐसे किसी तथ्य पर बात नहीं की गई। इसलिए हमारा विचार है कि पीडिता द्वारा कथित शब्दों के संबंध में उसके बयान की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है क्योंकि यह संभावनाओं और सामान्य आचरण के विपरीत जाते हैं।

किसी भी दर पर, पीडब्लू 4 का बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता।

हमें उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से असहमत होने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है, हालांकि हम समग्र रूप से उच्च न्यायालय के तर्क का समर्थन नहीं करते हैं।

परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं और अपील को खारिज करते हैं।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सरिता धाकड़** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।